राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 80/2023 जीसीएमएस नम्बर :– 2023/173

1. फुलाराम पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
2. विशम्भर दयाल पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
3. अंजना पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
4. किरण कुमारी पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
5. रूबा पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)

..........वादीगण

– ब ना म –

1. औमप्रकाश पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
2. चेतराम पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
3. प्रभुदयाल पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
4. मालाराम पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
5. रामेश्वर पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
6. औमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
7. किशनलाल पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
8. चिरंजीलाल पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
9. बृजमोहन पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
10. सारली पत्नि श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
11. गुड्डी पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
12. रेशमा पुत्री श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
13. सन्तोष पुत्री श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
14. बन्शीधर पुत्र बोदूराम जाति मेघवाल निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.......प्रतिवादीगण

–: निर्णय:–

दिनांक 03/05/24

दावा– [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.29 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से वाद पत्र [illegible] कि –

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

1. यह कि वाके ग्राम ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न. 11 रकबा 0.21 हैक्टर ख.न. 12 रकबा 0.24 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 0.62 हैक्टर किता 3 रकबा 1.07 हैक्टर मे वादी स.1 का 1/16 हिस्सा हैं वादी स. 2 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी रामजीलाल का 1/16 हिस्सा था जिस पर वादी स. 2 लगायत 5 बर्तोर खातेदार दर्ज हैं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का प्रत्येका का 1/16 – 1/16 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 6 लगायत 10 का 1/16 अर्थात् प्रत्येक का 1/80– 1/80 हिस्सा हैं एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स. 14 का हैं।
2. यह कि वाके ग्राम ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि ख.न. 430 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 431 रकबा 0.49 हैक्टर ख.न. 434 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 436 रकबा 0.31 हैक्टर किता 4 रकबा 1.70 हैक्टर मे वादी स.1 का 1/16 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी रामजीलाल का 1/16 हिस्सा था जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं वादी स. 2 लगायत 5 ही उसके उतराधिकारी हैं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का इस भूमि मे 1/16 – 1/16 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 6 लगायत 13 का 1/16 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/128 –1/128 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 14 का 1/2 हिस्सा हैं।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 व 2 मे वर्णित भूमि का मौके पर पारिवारीक समझौता से अलग – अलग विभाजन कर रखा हैं प्रतिवादी स. 14 का सम्पूर्ण भूमि किता 7 रकबा 2.77 हैक्टर मे 1/2 हिस्सा हैं इसलिए प्रतिवादी स. 14 ने अपना सम्पूर्ण हिस्से मे आने वाला रकबा भूमि ख.न. 430, ख.न. 431 ख.न. 434 ख.न. 436 किता 4 रकबा 1.70 हैक्टर मे 1.3850 हैक्टर रकबा पर कब्जा प्राप्त कर रखा हैं मौके पर पक्षकारन अपने – अपने हिस्से के रकबा पर अलग – अलग काबिज हैं।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने से वादीगण को अपनी भूमि का अन्यत्र उपयोग करने एवं अन्य उद्देश्यो के लिए कनर्वजन करवाने मे भारी परेशानी होती हैं खातेदारो की संख्या अधिक होने से वे विभाजन हेतु एकत्रित नही हो पाते हैं जिससे इस भूमि का खाता विभाजित नही होने से एवं प्रतिवादी स. 2 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी रामजीलाल की मृत्यु होने वादी स. 2 लगायत 5 का नाम खातेदारी मे दर्ज नही होने से वादीगण को भारी परेशानी हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं इसलिए वादीगण के लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।
5. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वादीगण का खाता संयुक्त रहने से वादीगण स. 2 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी की मृत्यु होने व वादीगण स. 2 लगायत 5 ही उसके उतराधिकारी होने व उनका नाम नामान्तकरण दर्ज नही होने से पैदा हुआ हैं अतः दावा अन्दर मियाद हैं।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि:–

(क). कि वाके ग्राम ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न. 11 रकबा 0.21 हैक्टर ख.न. 12 रकबा 0.24 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 0.62 हैक्टर किता 3 रकबा 1.07 हैक्टर तथा ख.न. 430 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 431 रकबा 0.49 हैक्टर ख.न. 434 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 436 रकबा 0.31 हैक्टर किता 4 रकबा 1.70 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.77 हैक्टर मे वादी स. 2 लगायत 5 को रामजीलाल के स्थान पर 1/16 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने कि कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.29 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(ख). कि वाके ग्राम ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न. 11 रकबा 0.21 हैक्टर ख.न. 12 रकबा 0.24 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 0.62 हैक्टर किता 3 रकबा 1.07 हैक्टर तथा ख.न. 430 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 431 रकबा 0.49 हैक्टर ख.न. 434 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 436 रकबा 0.31 हैक्टर किता 4 रकबा 1.70 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.77 हैक्टर मे वादी स. 1 का 1/16 हिस्सा एवं वादी स. 2 लगायत 5 के 1/16 हिस्सा का खाता विभाजित कर मौके पर कब्जा को प्राथक्तिा देते हुये विभाजन मे वादीगण को उनके कब्जा की भूमि विभाजन मे दी जाकर लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेश दिये जाने कि कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की ओर से इकबालिये जबाव दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 13 की ओर से इकबालिया जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक अनुतोष वादीगण का दावा डिक्री किये जाने के लिये हम सहमत है हमें कोई आपत्ति नही है।

प्रतिदावा निम्न प्रकार रहा कि :–

1. यह कि वाके ग्राम ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न. 11 रकबा 0.21 हैक्टर ख.न. 12 रकबा 0.24 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 0.62 हैक्टर किता 3 रकबा 1.07 हैक्टर मे प्रतिवादी/ प्रतिदावाकर्ता स.1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा हैं प्रतिवादी / प्रतिदावाकर्ता स. 6 लगायत 10 का 1/16 अर्थात् प्रत्येक का 1/80– 1/80 हिस्सा हैं तथा शेष हिस्सा वाद पत्र में दर्ज अनुसार अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण का है।
2. यह कि वाके ग्राम ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि ख.न. 430 रकबा 0.57 हैक्टर ख.न. 431 रकबा 0.49 हैक्टर ख.न. 434 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 436 रकबा 0.31 हैक्टर किता 4 रकबा 1.70 हैक्टर मे प्रतिदावाकर्ता/ प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 1/16 – 1/16 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 6 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/128 – 1/128 हिस्सा है। तथा शेष हिस्सा वाद पत्र व राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार अन्य प्रतिवादी व वादीगण का है।
3. यह कि प्रतिदावा के खण्ड न. 1 व 2 मे वर्णित भूमि का मौके पर पारिवारीक समझौता से अलग – अलग विभाजन कर रखा हैं मौके पर पक्षकारन अपने – अपने हिस्से के रकबा पर अलग – अलग काबिज हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 14 को दिनांक 08.12.2023 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.01.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 17 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक [illegible] दिनांक [illegible]2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अ[illegible]न [illegible]या गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु [illegible] किया [illegible] किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.29 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम ईश्कपुरा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 82, 174 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का दर्ज हिस्से अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 बाबत खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ईश्कपुरा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 11, खसरा नम्बर 12, खसरा नम्बर 18 किता 3 कुल रकबा 1.07 है. एवं खाता संख्या 174 के खसरा नम्बर 430, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 434, खसरा नम्बर 436 किता 4 कुल रकबा 1.70 हैक्टर में वादी संख्या 2 लगायत 5 को रामजीलाल के स्थान पर खातेदार कास्तकार धोषित किया जाकर वादी 1 एवं वादी संख्या 2 लगायत 5 का संयुक्त व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का प्रत्येक का अलग–अलग तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 13 का संयुक्त का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 17 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 826 दिनांक 04.04. 2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब"–3" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब"–3" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब"–1 लगायत "ब"–3" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 03/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.29 11:15
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 80 / 2023 जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 173
निर्णय दिनांकः–

फुलाराम आदि **बनाम** औमप्रकाश आदि

<u>दावा खाता विभाजन एवं धोषणात्मक</u>

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 ओर से श्री महेन्द्रसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी संख्या 14 की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03/5/24 को **श्री हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 बाबत खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ईश्कपुरा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 11, खसरा नम्बर 12, खसरा नम्बर 18 किता 3 कुल रकबा 1.07 है. एवं खाता संख्या 174 के खसरा नम्बर 430, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 434, खसरा नम्बर 436 किता 4 कुल रकबा 1.70 हैक्टर में वादी संख्या 2 लगायत 5 को रामजीलाल के स्थान पर खातेदार कास्तकार धोषित किया जाकर वादी 1 एवं वादी संख्या 2 लगायत 5 का संयुक्त व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का प्रत्येक का अलग–अलग तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 13 का संयुक्त का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब"–3" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब"–3" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब"–3" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आज तारीख 03/05/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.29 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना